कार्यालय, नगर पंचायत चकिया, पूर्वी चम्पारण।

E-mail id-ulb.bih.chakia@gmail.com
Mob-7739130540

पत्रांक 3609 /

दिनांक 28.11.2018 /

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत चकिया,
पूर्वी चम्पारण।

सेवा में,

उप महालेखाकार –सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक,
कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार पटना।

विषयः– निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–5/2012–13 का साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2009–10 से 2010–11 की अवधि में आपके कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा अभिलेखों एवं पंजियों से संबंधित कुछ आपत्ति निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 5/2012–13 द्वारा लगायी गयी थी। निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 5/2012–13 का जवाब मेरे कार्यालय द्वारा तैयार कर ली गई है, जिससे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राप्ति स्वीकार करने की जाय।

संलग्नक– 1. निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–5/2012–13
की प्रश्न एवं उत्तर सहित।
2. कंडिका में दर्शायी गयी साक्ष्य की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत चकिया

ज्ञापांक 3609 /दिनांक 28.11.2018

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/11/18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत चकिया

कार्यालय, नगर पंचायत चकिया,पूर्वी चम्पारण।

कार्यालय महालेखाकर, लेखा परीक्षा बिहार, पटना, निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–5/2012–13 (अवधि 2009–10 से 2010–11 तक)

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	साक्ष्य
	1. प्रस्तावना नगर पंचायत चकिया के वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2010–11 के लेखाओं का नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा बिहार पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 23.03.2012 से 31.03.2012 की अवधि में किया गया।		
	2. प्रशासन अध्यक्ष – कार्यकाल श्री शत्रुघ्न गुप्ता – 01.04.09 से 31.03.11 तक उपाध्यक्ष – कार्यकाल श्रीमति वीणा देवी – 01.04.09. से 31.03.11 तक कार्यपालक पदाधिकारी – कार्यकाल श्री शम्भू कुमार – 01.04.09 से 29.04.2010 पूर्वा0 तक श्री अजय कुमार – 29.04.09 से 29.04.2010 पूर्वा तक श्री अनिल कुमार पाण्डे – 28.08.2010 से 03.03.2011 तक नगर प्रबंधक – कार्यकाल श्री रितेश कुमार गुप्ता – 25.08.2010 से 31.03.2011 तक		
	3. लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र लेखा परीक्षा के नमूना जाँच में प्रस्तुत किय गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–1 में तथा असंधारित या प्रस्तुत नहीं किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्टि–I(क) में दी गई है।		
	4. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन हेतु पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–बार सुझाव तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। परंतु अनुपालन हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए जिससे बहुत सारी कंडिकाएँ अनुपालन हेतु लंबित है। कार्यपालक पदाधिकारी को सलाह दी जाती है कि लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु यथाशीघ्र ठोस उपाय किय जाय।		

5. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, ताकि लेखाओं के संधारण में त्रुटियों तथा किसी भी अनियमितता की संभावना का समाप्त किया जा सके।

नगर पंचायत की लेखाओं के नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी स्तर पर आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जिसके कारण लेखाओं का संधारण में हर स्तंर पर त्रुटियों पायी गयी तथा वसूल की गयी राशि का जमा नहीं/कम जमा एवं अन्य अनियमिततायें दृष्टिगत हुई जिनकी विवेचना आग्र कंडिकाओं में की गयी है।

अतः नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि अधिनियम की धाराओं के अनुरूप आंतरिक जाँच की व्यवस्था की जाये ताकि भविष्य में लेखाओं/अभिलेखों के असाधरण एवं वित्तीय अनियमितता की संभावना न हो।

लेखा परीक्षा इकाई का जवाब कि कर्मियों के कारण यह कार्य हो पा रहे है। संतोषजनक नहीं है।

नगर पंचायत चकिया कार्यालय का आन्तरिक अंकेक्षण सुलेखा सी0ए0 फार्म से कराई जा रही है। अंकेक्षण के दौरान एवं अंकेक्षण रिर्पोट में दिशा निर्देशो एवं सुझाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

साक्ष्य–1. अंकेक्षण रिर्पोट की छायाप्रति

6. लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्रम सं0	पारा सं0	विवरण	सम्बन्धित राशि (रू)
1	13	कम जमा/नहीं जमा राशि	114440.00
2	15	बंदोबस्ती राशि कम जमा	36925.00
3	16	बकाया मुख्य (भवन) कर	3546128.00
4	17	दुकानों का बकाया किराया	426750.00
5	18	मोबाईल टावर बकाया कर	3074581.00
6	21 (क)	अपूर्ण योजनाओं के विरूद्ध लंबित अग्रिम	61931061.00
7	22	सोलर लाईट अधिष्ठापन में अनियमितता	2268620.00
8	23	उपस्करों के क्रय में अनियमितता	2467366.00

7. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत चकिया सरकारी अनुदान ऋण तथा स्वयं के स्त्रोतों से वित्त पोषित है। नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के आय–व्यय विवरणी तैयार नहीं की गई। रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में नगर पंचायत कस

संव्यवहार निम्नलिखित है:–

	2009–10	2010–11
प्रारंभिक अवशेष	11593843.20	14563883.20
प्राप्ति	75908873.00	13405563.00
कुल	87502716.20	27969446.46
व्यय	72938833.00	10180836.00
अन्तशेष	14563883.20	17788610.20

(विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– II पर)

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत के आय स्त्रोत यह सवयं के स्थापना व्यय एवं दैनिक व्यय को बहन करने में भी सक्षम नहीं था।

अतः सुझाव दिया जाता है कि स्वयं के आय स्त्रोतों को बढ़ाने हेतु समुचित प्रयास किय जायें।

जवाब दिया गया कि समाधान विवरणी लेखा परीक्षा दल का उपलब्ध कराया जायेगा लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त सुक्षाव की स्वयं के आय स्त्रोतों को बढ़ाने हेतू समुचित प्रयास किये जाये के आलोक में तथ्यातमक रूप से प्रस्तुत करना है कि नगर पंचायत चकिया द्वारा नियमित रूप से वार्षिक बजट तैयार किया जाता है, जिससे आय–व्यय संबंधी विस्तृत चर्चा कराने के उपरान्त इसे अनुमोदित किया जाता है। वितीय वर्षो–2010–11 से 2018–19 तक के बजट में आय–व्यय संबंधी विवरणी संलग्न है।

साक्ष्य–2. वितीय वर्ष–2010–11 से 2018–19 तक बजट की छायाप्रति

8. रोकड़ बही की त्रुटियाँ

नगर पंचायत चकिया में रोकड़ बही का विहित संधारण नहीं किया गया, इसमें पाइ गई त्रुटियाँ निम्नलिखित है:–

(1) सभी मदों के आय–व्यय हेतु एक ही रोकड़ बही का संधारण किया गया।

(2) मदवार सहायक रोकड़–बहियों का संधारण नहीं किया गया।

(3) प्रारंभिक शेष तथा अंतशेष का विश्लेषण नहीं किया गया।

(4) आय–व्यय पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया।

(5) बैंक/कोषागार पास बुक से रोकड़ बही का समाधान नहीं किया गया।

(6) मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरण तैयार नहीं किया गया।

अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त त्रुटियों को दूर कर रोकड़ बही का विहित संधारण किया जाय तथ अगले लेखा–परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

जवाब दिया गया कि त्रुटियों को दूर कर लेखा परीक्षा को दिखला दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

अप्रशिक्षित रोकड़पालों द्वारा रोकड़ संचालन में आये त्रुटियों के लिए मेसर्स सुलेखा सी0ए0 फार्म की सेवा प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना के द्वारा सेवा प्रदान किया गया, रजिस्टर्ड चार्टड अकान्टेड के दिशा निर्देश के आलोक में रोकड़ बही के त्रुटियों को दूर कर लिया गया है, जिससे–

1. सभी मदों का अलग–अलग रोकड़ बही संधारीत किया जा रहा है।
2. बैंक के अनुसार सभी खाताओं के चेक पंजी का अलग–अलग संधारण किया जा रहा है।
3. जेनरल कैश बुक का संधारण किया जा रहा है।
4. प्रत्येक वर्ष बजट तैयार किया जाता है, जिससे आय–व्यय का वर्गीकरण हो जाता है।
5. प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाता है।

साक्ष्य–3. रोकड़ बही, जेनरल कैष बुक, की छायाप्रति

9. अन्तशेष

नगर पंचायत चकिया का 31.03.11 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष रू0 17788610.20 था, जबकि बैंक/ट्रेजरी के पासबुक के अनुसार अन्तशेष निम्नलिखित था:–

नगर पंचायत चकिया में प्रत्येक माह में जेनरल कैषबुक का संधारण किया जाता है, जिसमें सभी रोकड़ बही एवं चेक पंजी के शेष का मिलान किया जाता है। चेक पंजी का बैंक स्टेटमेन्ट से मिलान किया जाता हैं, जिससे जेनरल कैश बुक के बैलेन्स का प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है।

क्रम सं0	बैंक	खाता सं0	अन्तशेष (रू)	अन्तशेष दिनांक
1	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3323/ 2066713455	2770950.00	31.03.11
2	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	21143/2066678033	40608	05.02.11
3	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11810/2066791648	576307.00	05.02.11
4	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4594/2066726143	563.00	05.02.11
5	चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6768	2211907.53	24.03.11
6	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बारा चकिया	11374065868	2485266.91	31.03.11
7	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बारा चकिया	11373986201	7336.00	13.01.10
8	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बारा चकिया	31572416337	282117.00	19.02.11
9	ट्रेजरी	PLAC-083 (8448)	9912338.76	15.02.11
		कुल	18287395.2	

बैंक/ट्रेजरी का अन्तशेष रोकड़ बही के अन्तशेष से रू0 498785.00 अधिक था। जवाब दिया गया कि समाधान विवरणी कर लेखा परीक्षा दल को दिखला दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं किया गया।

बैंक समाधान विवरण तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

साक्ष्य–4. जेनरल कैषबुक की छायाप्रति

10. अन्य खाताओं का परिचालन

नगर पंचायत चकिया के लेखाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि पी0एल0 खाता के अतिरिक्त अन्य आठ खाताओं का संचालन किया गया। नगरपालिका लेखा नियम 1928 की धारा 21 एवं 22 के अन्तर्गत नगरपालिका हेतु प्राप्त सभी राशियों को कोषागार में जमा किया जाना उपबंधित था।

नगर पंचायत अधिकारी को सलाह दी जाती है कि पी0एल0 खाता के अतिरिक्त अन्य सभी बैंक खातों को बंद कर इनकी राशि पी0एल0 खाता में स्थानांतरण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

जवाब दिया गया कि अन्य खाताओं को बंद कर सभी राशियों को पी0एल0 खाता में जमा कर दिया जायेगा।

नगर पंचायत चकिया के द्वारा सभी खाताओं को बन्द करते हुये पी0एल0 खाते में रख दिया गया है। सिर्फ वे खाते जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के द्वारा आर0टी0जी0एस0/एन0इ0एफ0टी0 के माध्यम से आवंटन प्राप्त होते है, उसे ही संचालन में रखा गया है।

साक्ष्य–5. खाते बन्द करने हेतु विभाग को भेजी गई सुचना की की छायाप्रति

11. सरकारी अनुदान

नगर पंचायत चकिया में अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी

अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है एवं अनुदान विनियोग पंजी का संधारण किया जा रहा है।

	का विहित संधारण नहीं किया गया है। नगर पंचायत चकिया को सरकारी अनुदान के रूप में 2009–10 में रू0 72347551.00 तथा वर्ष 2010–11 में रूपये 9379366.00 प्राप्त हुए। योजनवार/मदवार सरकारी अनुदान का विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– III पर दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी का मदवार विहित संधारण कर अगले लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय। जवाब दिया गया कि पंजी में अद्यतन प्रविशिष्टि की जा रही है।		साक्ष्य–6. अनुदान पंजी एवं विनियोग पंजी की छायाप्रति।
	12. बजट प्रावधान वार्षिक लेखा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संभावित आय एवं व्यय का बजट तैयार किया जाना उपबंधित किया गया, धारा 84 के उपबंधों के अनुसार पर्षद बजट प्राक्कलन एवं इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुमोदित कर स्थानीय निकायों के उप–निदेशक का स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। धारा 88 के अनुसार नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एवं वित्तीय विवरण तैयार कराये जाने का उपबंध किया गया जिससे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय तथा वास्तविक आय–व्यय के आंकड़ों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में बजट तैयार किया जाय तथा वार्षिक लेखा भी बनाये जाये। ध्यातव्य है कि धरा–75 के उपबंधों के अनुसार बजट में सम्मिलित नहीं किये गये किसी भी राशि का व्यय नहीं किया जाय, इस प्रकार	नगर पंचायत चकिया का वर्ष वार बजट तैयार किया जाता है जिससे आय–व्यय का वर्गीकरण हो जाता है एवं अनुमानीत व्यय के आलोक में वास्तवीक आय–व्यय क्या हुई इसको भी सुनिश्चित किया जाता है।	साक्ष्य–7. वित्तीय वर्ष–2010–11 से 2018–19 तक बजट की छायाप्रति।
	13. कम जमा/नहीं जमा राशि रू0 1.14 लाख नगर पंचायत चकिया के रसीदों की जाँच में पाया गया कि कुल 114440.00 कम/नहीं जमा किया गया जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:–		

क्रम सं0	रसीद का प्रकार	रसीद संख्या	दिनांक	संग्रहित राशि	राशि जमा	नहीं जमा/कम जमा	कर संग्रहक/कर दरोगा
1	विविध रसीद	2964–2966	05.04.10	750.00	शून्य	750.00	श्री परमानंद सिंह
2	विविध रसीद	2914–9324	21.07.10	29500.00	29300.00	200.00	श्री मनोज
3	विविध	2369–2374	09.04.09	9025.00	शून्य	9025.00	श्री

	रसीद						परमानंद सिंह
4	विविध रसीद	2376	10.08.09	1975.00	शून्य	1975.00	वही
5	विविध रसीद	2378–2400	14.11.09 11.03.10	30050. 00	शून्य	30050. 00	वही
6	एच रसीद	5250–5300	25.01.10 30.01.10	106405. 00	95317.00	11088. 00	श्री दिनेश कुमार
7	एच रसीद	5801–5809	11.03.10 31.03.10	4557.00	शून्य	4557.00	श्री परमानंद सिंह
8	एच रसीद	5946–5947	17.05.10 18.05.10	8928.00	शून्य	6928.00	वही
9	एच रसीद	6047–6059	27.05.10 29.05.10	9651.00	शून्य	9651.00	वही
10	एच रसीद	4799–4800	18.05.10 02.07.09	1530.00	शून्य	1530.00	वही
11	एच रसीद	4150–4162	30.07.09 22.08.09	24234. 00	शून्य	24234. 00	वही
12	एच रसीद	4961–4978	28.04.09 01.09.08	14452. 00	शून्य	14452. 00	
					कुल	114440. 00	

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि कम जमा/नहीं जमा की गयी राशि मो0– 14440.00 के संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर निधि के उचित शीर्ष में जमा तथा अगले लेखा परीक्षा को दिखलाया जाय।

जवाब दिया गया कि संबंधित कर्मियों से राशि जमा करवायी जा रही है।

कंडिका के आपत्ति के आलोक में नहीं जमा कम जमा राशि मो0–114440/– (एक लाख चौदह हजार चार सौ चालीस मात्र) रूपया का समायोजन श्री परमानंद सिंह सेवानिवृत्त टैक्स दारोगा, नगर पंचायत चकिया के बकाया वेतन के भुगतान चेक संख्या– 271980 दिनांक–08.06.2012 मो0–544636/– से की गई है।

साक्ष्य–8. वेतन भरपाई पंजी एवं कैष बुक की छायाप्रति।

14.वसूल किय गये होल्डिंग कर को विलम्ब से जमा किया जाना रू0 1.63 लाख

नगर पंचायत चकिया में होल्डिग कर की रसीद की नमूना जाँच में पाया गया कि होल्डिग कर की रकम वसूलने के बाद कई दिनों तक अपने पास रख ली गई तथा विलम्ब से जमा की गयी।

बिहार वित्तीय नियम के उपबंधों के अनुसार वसूला गया राजस्व तुरंत उसी दिन सरकारी कोष में जमा कराना अनिवार्य है। विलम्ब से जमा से संबंधित कुछ उदाहरण निम्नलिखित है:–

क्रम सं0	रसीद सं0 जारी होने की तिथि	जमा होने की तिथि (रोकड़ बही के अनुसार)	जमा राशि
01	5077/11.11.09-5100/23-11-09	24.11.09	11346.00
02	5207/24.11.09-5221/05.2.09	07.12.09	5750.00
3	5212/10.12.09-5324/15.1.09	22.12.09	7812.00
4	5232/21.11.09-5239/31.12.09	31.12.09	4842.00

नगर पंचायत चकिया कार्यालय का साफ्टवेयर डेवलौप करने हेतु कार्यादेश पत्रांक–1559, दिनांक–21.02.2018 से मेसर्स–**Bisentech Zone Pvt. Ltd.** को साफ्टवेयर डेवलौप करने हेतु वर्कऑडर दी गई है। साफ्टवेयर डेवलौप हो जाने पर होल्डिंग कर की वसुली FULLY ONLINE होगी, जिससे होल्डिंग कर की वसुली के समय ही नगर पंचायत कार्यालय के खाते में जमा हो जायेगी।

साक्ष्य–9. टेन्डर एवं वर्कऑडर की छायाप्रति

5	5250/25.01.10-5300/30.01.10	11.02.10	95317.00
6	5350/27.01.10-5400/30.01.10	13.02.10	3859.00

15. बन्दोबस्ती की राशि का कम जमा होना रू0 0. 37 लाख

सम्पत्ति पंजी अथवा सैरातों की सूची लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करया गया, उपलब्ध कराये गये बन्दोबस्ती संचिका के अवलोकन में यह पाया गया कि वर्ष 2009–10 की अवधि में विभिन्न सैरातों के बन्दोबस्ती की गयी जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्रम सं0	सैरात का नाम	बन्दोबस्ती राशि	बन्दोबस्तीधारी का नाम (सर्व श्री)	वसूल की गयी राशि	कम वसूली
1	टिन–टिकट	15350.00	मिन्टू कुमार	7675.00	7675.00
2	केसरिया रोड	77500.00	प्रदीप कुमार गुप्ता	77500.00	–
3	मोतिहारी रोड बस पड़ाव	28500.00	हसलाल राय	28500.00	–
4	साहेबगंज रोड बस पड़ाव	10000.00	शिवशंकर चौधरी	5000.00	5.000
5	व्यवसायिक वाहन सेवा शुल्क	175000.00	मिन्टु कुमार	171500.00	–
6	सड़क के बाहर नाली किनारे टौल वसूली	11100.00	संजय पाण्डेय	11100.00	–
7	विज्ञापन शुल्क	48500.00	मिन्टू कुमार	24250.00	24250.00

2010–11

1	मोटर वाहन वाणिज्यक वाहन, होर्डिंग बैनर बोर्ड गेट	652000.00	सुनील कुमार सिंह	652000.00	—
2	सड़क किनारे बालू गिट्टी–छड़ दुकान एवं ठेला, गुमटी दूकानदार टॉल वसूली	16100.00	संजय पाण्डेय	16100.00	

उपर्युक्त कम वसूली की राशि रू0 36925.00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों की जाय तथा अगले लेखा परीक्षा को दिखलाया जाय।

जवाब दिया गया कि संबंधित व्यक्तियों से राशि वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया जा रहा है जो संतोषजनक नहीं है क्योंकि राशि वर्ष 2009–10 से संबंधित है।

कंडिका के आपति के आलोक में बन्दोबसधरियों के द्वारा बन्दोवस्ती की कम जमा राशि के विरूध सर्टिफिकेट केस करने हेतू श्री रमेश शर्मा प्रधान सहायक को प्राधिकृत किया ~~जाता~~ गया है।

साक्ष्य–10. प्राधिकृत करने की छायाप्रति।

16. बकाया मुख्य (भवन) कर 35.46 लाख

मांग एवं वसूल पंजी का संधररण नहीं किया गया, उपलब्ध करयी गयी सूची के अनुसार भवन कर की कुल बकाया राशि 31.03.2011

	को रू0 3746128.00 थी। विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्टि– IV पर दिया गया है। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त बकाया की वसूली हेतु नियम/अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया अपनायी जाय तथा बकाया की वसूल की जाय ताकि नगर पंचायत निधि की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो साथ ही मांग व वसूली पंजी का विहित संधारण कर अगले लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय। जवाब दिया गया कि कर्मियों की कमी के कारण नियमित वसूली नहीं हो पा रही है।	नगर पंचायत चकिया क्षेत्रान्तर्गत सभी होल्डिंग धारीयों के बाकायादारों के विरूध राशि वसुली हेतु नोटिस निर्गत की गई है, जिससे होल्डिंग कर की वसुली में वृद्धी हुई है, वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में मो0–4.36, 32.69, 28.43 लाख रू0 की क्रमशः वसूली हुई है। शेष होल्डिंग कर की वसुली हेतु नोटिस निर्गत की गई है।	साक्ष्य–11. एम0पी0आर0 की छायाप्रति
	17. दुकानों का बकाया किराया रू0 4.27 लाख नगर पंचायत के 7 स्थलों पर अवस्थित कुल 93 दुकानों पर 31.03.2011 को कुल बकाया किराया रू0 426750.00 था। विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट–V पर दिया गया है। ध्यातव्य है कि दुकान किराया से संबंधित मांग व वसूली पंजी लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। जवाब दिया गया कि कर्मियों की कमी के कारण नियमित वसूली नहीं पा रही है। जो संतोषजनक नहीं है।	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में सभी सरकारी दुकानदारों से बकाया किराया हेतु नोटिस निर्गत की गई है। वितिय वर्ष–2015–16, 2016–17, 2017–18 में मो0– 25.85, 13.04, 15.04 लाख क्रमशः रूपये की वसूली की गई है, शेष वसूली हेतु प्रक्रिया जारी है।	साक्ष्य–12. एम0पी0आर0 की छायाप्रति
	18. मोबाईल टावरों तथा संबंधित जमीन मालिक पर बकाया कर एवं शुल्क रू0 30.75 लाख नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार नगर पंचायत में स्थापित व मोबाईल टावरों पर 31.03.2011 तक निर्धारित कर 31.88 लाख में से मात्र रू0 1.64 लाख प्राप्त हुए थे। इस तरह मोबाईल टावरों से संबंधित जमीन के मालिक पर 31.03.2011 तक निर्धारित कर रू0 50581.00 की राशि बकाया थी। नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि कम/नहीं जमा की गयी राशि रू0 11444.00 के संबंधित/जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल कर निधि के उचित शीर्ष में जमा किया जाय तथा अगले लेखा परीक्षा को दिखलाया जाय। जवाब दिया गया कि संबंधित कर्मियों से राशि जमा करवायी जा रही है।	कंडिका के आपति के आलोक में इस कार्यालय से 6 मोबाईल टावर का रजिस्ट्रेशन एवं रेन्युवल शुल्क की वसूली हेतु कार्यालय का ज्ञापांक–3990, 3991, 3992, 3993, 3994 एवं 3995, दिनांक–30.12.2016, ज्ञापांक–3818, 3819, 3821, 3823, 3824 एवं 3825 दिनांक–12.12.2017 द्वारा, नोटिस दी गई थी। अधिष्ठापित 6 टावरों में से 3 का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा था। शेष 3 मोबाईल टावर का रजिस्ट्रेशन एवं रेन्युवल शुल्क बकाया था, जिसमें से 2 मोबाईल टावर के द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं रेन्युवल शुल्क जामा एम0आर0 संख्या–5699, 6045 एवं 6046 द्वारा जामा किया गया है। शेष बचे 1 मोबाईल टावर पर रजिस्ट्रेशन एवं रेन्युवल शुल्क बकाया है जिसके लिये नोटिस जारी कर दी गई है।	साक्ष्य–13. एम0आर0 संख्या–5699, 6045 एवं 6046 की छायाप्रति
	19. आय कर, वैट तथा रायल्टी की रकम जमा नहीं नगर पंचायत चकिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की विभिन्न योजनाओं से आयकर, वैट रॉयल्टी, की कटौती की गयी परंतु कटौती की राशि संबंधित सरकारी कोष में जमा नहीं की गई। जिसका विवरणी निम्नलिखित हैः–		

क्रम सं0	योजना	कुल योजनाएँ	कुल व्यय (रू0)	आयकर (रू0)	वैट (रू0)	रॉयल्टी (रू0)
1	UIDSSMT	96	60996862.00	1713983.00	3033600.00	3004127.00
2	मुख्यमंत्री स0 शि0 वि0 योजना	21	3955377.00	89392.00	158215.00	निर्धारण नहीं
3	चपाकल गड़ाई	03	122939.00	2778.00	4918.00	
	कुल	120	65075179.00	1806153.00	3196733.00	3004127.00
					कुल	8007013.00

अंकेक्षण अवधि के दौरान चंक नं0 025849 (सी0बी0आई) के द्वारा राशि रू0 460000.00 वैट के रूप में जमा करायी गयी नगर पंचायत अधिकारी को सलाह दी जाती है कि वे बकाया राशि रू0 7547013.00 (आयकर 1806153.00 वैट–2736733.00, रॉयल्टी–3004127.00) संबंधित शीर्ष मे जमा करें तथा अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

नगर पंचायत चकिया द्वारा वैट रोयॉलिटी एवं आयकर का भुगतान पूर्व में किया गया है। वैट चेक संख्या–025843 से मो0–460000/– चेक संख्या–397562 से मो0–1672679/– एवं रोयॉलिटी चेक संख्या–527927 से मो0–3066052/– भुगतान किया गया।
UIDSSMT योजना पर लोकायुक्त में केश लंबित है, जैसे ही लोकायुक्त की प्रक्रिया पूर्ण होती है शेष बकाया राशि का भुगतान किया जायेगा।

साक्ष्य–14. चेक पंजी की छायाप्रति।

20. शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस जमा नहीं

नगर पंचायत चकिया को होल्डिंग टैक्स 50 प्रतिशत सेस एवं 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस की वसूली करनी थी और उसके 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क की कटौती कर शेष 90 प्रतिशत राशि सरकार के संबंधित विभाग के मद में जमा करनी थी। परंतु नगर पंचायत द्वारा वसूली की गई राशि रू0 569077.20 संबंधित मद में जमा नहीं की गई। इसका विवरण निम्नलिखित है:–

क्रम सं0	वर्ष	शिक्षा सेस (रू0)	स्वास्थ्य सेस (रू0)
1	2009–10	128749.50	128749.50
		187404.50	187404.50
		316151.00	316154.00
	(90%)	284538.60	284538.60

अतः नगर पंचायत अधिकारी को सलाह दी जाती है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की राशि रू0 569077.20 शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित मद में जमा कराने की व्यवस्था करें अगले अंकेक्षण में दिखायें।
जवाब दिया गया कि निधि की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर इन्हें जमा कर दिया जायेगा।

1. **होल्डिंग टैक्स से वसुल की गई राशि जिससे स्वास्थ्य शेष एवं शिक्षा शेष की राशि नगर पंचायत (जो कि सविधान के 74 वे संशोधन के अन्तर्गत एक स्वायतशाषी स्वतंत्र संस्था है, जिसका संचालन एवं विनियम सरकार के दिशा निदेश में किया जाता है) के खाते में जामा करने का प्रावधान है जिसे नियम पूर्वक जामा किया जा रहा है।**
2. **सरकार द्वारा स्वास्थ्य शेष एवं शिक्षा शेष को सरकार के किस मद में जामा करना है इस संबंध में कोई दिशा निर्देश अथवा आदेश नगर पंचायत में प्राप्त नहीं है। स्पष्ट दिशा निदेश एवं आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्यवाई सुनिश्चत किया जायेगा।**

21. श्रम सेस की कटौती नहीं

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 39 दिनांक 19.06.2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्यों के कुल व्यय का 1 प्रतिशत

कटौती करने के उपरांत ही भुगतान किया जाना चाहिए परंतु नगर पंचायत चकिया द्वारा विभिन्न योजनाओं पर श्रम सेस की कटौती नहीं की गई इसका विवरण इस प्रकार है:–

क्रम सं0	मद का नाम	कुल व्यय (रू0)	1% श्रम सेस (रू0)
1	मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना 2009–10	1250000.00	12500.00
2	मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना 20010–11	2071178.00	20712.00
3	चापाकल गड़ाई योजना 2010–11	182939.00	1829.00
		योग	35041.00

श्रम सेस के रूप में काटी जानेवाली राशि रू0 35041.00 पूर्ण योजनाओं में जिम्मेवार व्यक्ति से अपूर्ण योजनाओं में विपत्र की राशि से कटौती करने की कार्यवाही की जाय। भविष्य में प्राक्कलन बनाते समय इसका प्रावधान कर लिया जाय। इस दिशा में उठाए गये कदमों से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

जवाब दिया गया कि सरकारी निर्देश की प्रति उपलब्ध नहीं रहने के कारण पूर्व में प्रावधान एवं कटौती नहीं की गयी, वर्त्तमान में इसका प्रावधान किया जा रहा है।

21 (क) योजनाओं की भौतिक स्थिति

योजना पंजी एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, लेखा परीक्षा के अंतिम समय योजनाओं की भौतिक स्थिति की सूची दी गयी जिसके अनुसार स्थिति निम्न प्रकार थी:–

क्रम सं0	योजनमद	वर्ष	ली गयी योजनाओं की सं0	पूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं के विरूद्ध अग्रिम
1	UIDSSMT	2009–10	96	शून्य	96	61296862.00
2	मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना	2009–10	08	05	03	634199.00
		2010–11	13	13	शून्य	
3	चापाकल अधिष्ठापन		03	03	शून्य	
			120	21	99	61931061.00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2009–11 की अवधि में कुल 120 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 21 योजनायें पूर्ण की गयी तथा 99 योजनायें अपूर्ण थी, जिनमें 96 योजनायें वर्ष 09–10 से संबंधित

UIDSSMT योजना पर लोकायुक्त में केश लंबित है। योजना का भौतिक प्रतिवेदन लोकायुक्त में जमा की गई है, उसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

साक्ष्य–15. भौतिक प्रतिवेदन की छायाप्रति।

है। उपर्युक्त 99 योजनाओं के विरूद्ध 61931061.00 व्यय की गयी। उपर्युक्त अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने की कार्रवाई की जाय ताकि जनता को मिलने वाली सुविधायें उन्हें दी जा सकें तथा लम्बित अग्रिम का सामंजन हो सकें।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VII पर दिया गया है।)

22. सोलर लाईट अधिष्ठापन में अनियमितता रू0 22.68 लाख

नगर पंचायत चकिया द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से सोलर लाईट अधिष्ठापन हेतु दरें आमंत्रित की गयी (21.02.09) जिसकी अंतिम तिथि 25.02.09 निर्धारित थी, प्राप्त दरों में माँ शेरावाली सोलन सिस्टम एण्ड सोलूशन बारा चकिया (पं0 चम्पारण) की दर रू0 44500.00 प्रति सोलर लाईट को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत कर 48 लाईटों के संस्थापन का एकरारनामा किया गया, तथा दिनांक 26.02.09 को 30 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण करने के निर्देश के साथ कार्यादेश निर्गत किया गया।

सम्बंधित फर्म द्वारा 51 सोलर लाईटों के अधिष्ठापन का निम्नलिखित विपत्र प्रस्तुत किया गया:–

1	विपत्र क्रमांक	2से 15	दिनांक 20.04.09 से 20.05.09	28 अदद	रू0 1246000.00
2		16 से 21	16.06.09	12 अदद	534000.00
3		24 से 27	16.06.09	8 अदद	356000.00
4		33 से 34	12.10.09	3 अदद	133500.00
				51 अदद	2269500.00

इसके विरूद्ध आपूर्ति कर्त्ता को निम्मलिखित राशि को भुगतान किया गया:–

क्रम सं0	चेक संख्या/तिथि	राशि
1	017343/25.03.09	250000.00
2	127236/12.05.09	500000.00
3	127237/28.05.09	7466000.00
4	127239/19.06.09	400000.00
5	399822/24.09.09	50000.00
6	001949/12.12.09	99760.00
7	513117/20.07.10	95000.00
8	015526/20.07.10	127860.00
		2268620.00

ध्यातव्य है कि क्र0 सं0 4 पर वर्णित विपत्र द्वारा तीन सोलर लाईटों का अधिष्ठापन क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चकिया के

अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुभण्डल पुलीस पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आवास पर 24 घंटा आंशिक कार्यालय कार्यरत रहता है, जिसमें आवश्यकतानुसार नाईट शिफ्ट में पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत रहते है तथा आम व्यक्तियों की नागरीक सुविधा के माँग में प्रष्त्य में सोलर लाईट का अधिष्ठापन जो पूर्णतः आम जनता के उपयोग में है।

	आवास पर किया गया। लेखा परीक्षा टिप्पणी 1. उपर्युक्त क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु क्रय समिति का गठन नहीं किया गया, जो अनियमित था। 2. राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संगठन बेलट्रॉन एवं बेडा की दर क्रमशः रू0 35900.00 एवं 27600.00 के विरूद्ध अधिक मूल्य पर सामग्री का क्रय किन परिस्थितियों में किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया। 3. गारन्टी/वारण्टी से संबंधित कार्ड/एकरारनामा नहीं किया गया। 4. समग्री की गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन, भंडार पंजी प्रविष्टि, कार्यरत स्थिति इत्यादि नहीं दिखलाया गया। 5. विपत्रों से वैट की काटकर रखी गयी राशि 95880.00 में से रू0 95000.00 का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता फर्म को किस स्थिति में कर दिया गया यह स्पष्ट नहीं हो पाया। 6. मार्गदर्शिका के अनुसार आम जनता की सुविधा हेतु सड़कों/गलियों में रोशनी की व्यवस्था का उपबंध किया गया, लेकिन अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी एवं प्रखण विकास पदाधिकारी चकिया के आवास पर लाईट का अधिष्ठापन किस समक्ष स्वीकृति/प्रावधान/परिस्थितियों के अन्तर्गत किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया, इस तरह उक्त अधिष्ठापन अनियमित था। उपर्युक्त बिन्दुओं के स्पष्टीकरण होने तक भुगतान की गयी राशि रू0 2268620.00 लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती ळें जवाब दिया गया कि सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के अनुसार क्रय अधिष्ठापन एवं भुगतान किया गया, जो संतोषजनक नहीं है।		
	23. उपस्करों के क्रय में अनियमितता रू0 24.67 लाख अभिश्रवों के नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–10 से 2010–11 की अवधि में विभिन्न सफाई उपकरणों का क्रय किया गयाः– 1. ट्रेक्टर एवं हाइड्रोलिक ट्रेलर M/S V.E. Enterprises, Motihari के Tax invoice सं0 198/02.12.08 के द्वारा निम्न उपकरणों का क्रय किया गयाः–	**कंडिका 25 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत में संचालन हेतु प्रयाप्त कर्मियों की कमी है वर्तमान में मानदेय के आधार पर कर्मियो की नियुक्ति की गई है। उक्त कंडिका में वर्णित टिप्पणीयों के अनुपालन के कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। तात्कालीक कर्मी अधिकांशतः सेवानिवृत्त हो चुके है। सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन देय है। कंडिका में आपत्ति का समायोजन होने क पश्चात पेंशन का भुगतान किया जायेगा। इस आशय की स्वीकृति बोर्ड में रखा गया है।**	**साक्ष्य–16. सेवानिवृत्त की कर्मियों की आवेदन की छायाप्रति**

1	John Deera Tractor H.P 5038 D.	1 Set Rupeas 436630.76
2	Hard, Hitah, Drawbar Patta Tools, Manual Book, Battery, Card, key	
3	Beruper	R. 454096.00
4	Vat 4%	R. 17465.24
		R. 454096.00

जिस हेतु अभिश्रव सं0 02/29.04.02 रू0 236630.00 एवं चेक सं0 918377 दिनांक–31.10.08 रू0 200000 द्वारा कुल 436630.00 का भुगतान किया गया।

2. सेक्शन मशीन एवं हाथ ठेला
M/S Sangam Engineering works, Muzaffarpur के Tax invoice No. 15 दिनांक 12.03.2009 एवं 17 दिनांक 20.03. 2009 द्वारा निम्न सामग्री की आपूर्ति दी गयी।

1	Gully Emptier/Cleaner Vacum Capacity 3500 Ltrs.	
	Compeleted sets with imported section pump 1 PC jurop	R. 491346.00
	Vat 4%	R. 19653.84
	Transportation	R. 35000.00
2	Hand Trolly Fibre 6 cft & 6 Pcs	R. 49920.00
		R. 595919.00

जिस हेतु चेक सं0 918376, दिनांक 31.10.08 रू0 390000.00 एवं चेक सं0 127233.00 दिनांक 29.04.09 रू0 184000.00 अर्थात कुल रू0 574000.00 का भुगतान किया गया तथा वैट की राशि 2165. 00 की कटौती की गयी।

3. फॉगिंग मशीन 2 पीस

मे0 संगम इंजिनियरिंग वर्क्स मुजफ्फरपुर के Tax incoice no. 17 दिनांक 20.03.09 द्वारा आपूर्ति किये गये दो अदद फॉगिंग मशीन मूल्य रू0 191250.00 के एवज में चेक सं0 543157 दिनांक– 11.02.11 द्वारा रू0 100000.00 का भुगतान किया गया तथा उसी तिथि को आपूर्तिकर्त्ता को पत्र दिया गया कि एक मशीन मे खराबी के कारण अंतिम भुगतान नहीं किया जा रहा है।

4. गोदरेज फर्नीचर

संलग्न।

मे0 कैलाश राम एण्ड सन्स नवादा से दर प्राप्त हुआ तथा इन्हें आपूर्ति का आदेश निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध आपूर्तिकर्त्ता द्वारा रिटेल इन्बॉयस सं0 03 (हस्तलिखित) एवं 02 (हस्तलिखित) दिनांक 19.05.10 के माध्यम से गोदरेज टेबल, के केयर बैंक यूनिट, सोफा सेट, सेंटर टेबल, रैक, कम्प्यूटर टेबल, कन्फरेंश टेबल 26 पी0 चेयर, टेबल की आपूर्ति कर रू0 714203.00 का विपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त सामग्री का भुगतान चेक सं0 543105, दिनांक 19.03.10 द्वारा रू0 450000.00 एवं 543133 दिनांक 21.08.10 द्वारा रू0 264203.00 अर्थात् कुल रू0 714203.00 का भुगतान किया गया।

5. महिन्द्रा बोलेरो

संचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.09 (लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध) के निर्णय के अनुसार UIDSSMT निधि से बोलेरो, जिसकी कीमत रू0 611342.00 थी के क्रय का निर्णय लिया गया (दिनांक 26.02.10) में Sonali Autos Pvt. Ltd. के Retail invoice No. Muv/10272/10-11 Dated 20.05.10 द्वारा Bolero SLX MDI 2 WD 75TRB52 की आपूर्ति की गयी। जिसके विरूद्ध मांग ड्राफ्ट सं0 973880 दिनांक 03.03.10 द्वारा रू0609812.00 का भुगतान किया गया।

पुनः दिनांक 05.07.10 की टिप्पणी के अनुसार आपूर्ति/ लाने में विलम्ब के कारण गाड़ी की कीमत में रू0 32721.00 का भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. उपर्युक्त क्रय हेतु क्रय समिति का गठन नहीं किया गया।
2. आपूर्ति सामग्री के क्रमांक 1 से 3 तक की निर्माता कंपनी, गुणवत्ता जाँच, भण्डार पंजी प्रविष्टि, कार्यरत स्थिति, उपयोगिता इनके सुरक्षित भंडारण की स्थिति इत्यादि स्पष्ट नहीं किया गया।
3. उपर्युक्त उपस्करों की वारंटी/गारंटी से संबंधित कार्ड/एकरारनामा इत्यादि नहीं स्पष्ट किया गया।
4. क्रम सं0 5 के क्रय से संबंधित मद की मार्गदर्शिका / प्रावधान/ समक्ष स्वीकृति उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. दो अदद फॉगिंग मशीन के क्रय का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया।

उपर्युक्त विन्दुओं में बढी कीमत का भुगतान रू0 32721.00 संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल किया जाय तथा

	उपर्युक्त बिन्दुओं को अगले लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाय। स्पष्टीकरण तक रू0 2434645.00 (436630+574000+100000+714203+609812) लेखा परीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है। जवाब दिया गया कि सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के अनुसार क्रय किया गया एवं भुगतान किया गया, जो सन्तोषजनक नहीं है।		
	24. परिमाण विपत्र की भण्डार पंजी अनुपलब्ध नगर पंचायत चकिया में विभिन्न मदों के निर्माण/विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी। जिस हेतु परिमाण विपत्र की बिक्रकी की गई परन्तु परिमाण विपत्र की बिक्री पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके कारण प्रत्येक कार्य हेतु मुद्रित परिमाण विपत्र की संख्या बिक्री की गई विपत्रों की संख्या एवं शेष विपत्रों की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी। उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। नगर पंचायत पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भंडार पंजी का संधारण किया जाये तथा प्रत्येक योजना हेतु मुद्रित परिमाण विपत्र का लेखा तैयार किया जाय तथा उपर्युक्त की उच्च स्तरीय जाँच कर स्थिति को सुनिश्चित किया जाय एवं अगले लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाय। जवाब दिया गया कि भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।	**कंडिका में दी गई सुझाव के आलोक में परिमाण विपत्र की विक्री पंजी एवं भंडार पंजी वर्तमान में लगातार संधारण की जा रही है।**	
	25. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल नगर पंचायत, चकिया का गठन 1976 में हुआ जिस हेतु नागरिक विकास विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 1826, दिनांक 0412.01978 द्वारा निम्न पदों की स्वीकृति दी गयी। 1 प्रधान सहायक 1 2 कर दारोगा सह रोकड़पाल 1 3 कार्यालय आदेशपाल 1 4 सफाई जमादार 1 5 सफाई कर्मी 5 कुल 9 पुनः राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक	**नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कर्मियों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। कर्मियों के नियोजन संबंधि मार्गदर्शिका का निर्माण विभाग स्तर से किया जा रहा है, प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में ही कोई अग्रेतर कारवाई किया जाना संभव है।**	

5160 दिनांक 19.10.85 द्वारा सफाई निरीक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी।
अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि उपर वर्णित स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल की स्थिति निम्न प्रकार थीः–

1	सफाई निरीक्षक	1 (मानदेय पर)
2	आदेश पाल	1
3	सफाई कर्मी	5

उपर्यक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कार्यालय कार्य हेतु सहायक, रोकड़पाल एवं राजस्व वसूली हेतु कर दारोगा एवं संग्रहकर्त्ता के पद रिक्त होने के कारण लेखाओं के संधारण/संचिकाओं का रख रखाव एवं राजस्व प्राप्ति एवं जमा में कठिनाईयों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही सफाई कर्मियों की कमी के कारण दिनों–दिन विकसित हो रहे शहर की सफाई एवं अन्य सेवाये प्रदान कर पाने में नगर पंचायत असमर्थ था।
अतः नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि कर्मियों की कमी को दूर करने लेखाओं के विहित संधारण एवं आम जनता को समुचित सेवा देने एवं कर्मियों की कमी दूर करने हेतु विहित प्रक्रिया अपनायी जायें, तथा सरकार से पत्राचार कर रिक्त पदों को भरने एवं नगर पंचायत का कार्य सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाय।
जवाब दिया गया कि सरकार से इस विषय पर समय–समय पर पत्राचार किया जा रहा है।

26. बकाया अग्रिम

टंग्रिम पंजी का विहित संधारण नहीं किया गया मात्र दो अग्रिम की प्रविष्टि की गयी थी, उक्त अग्रिम पंजी की प्रविष्टि एवं रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 31.03.11 को विभिन्न कर्मचारियों/ एजेन्सियों के विरूद्ध रू0 8216666.00 की राशि सामंजन हेतु लंबित थीं। विस्तृत परिशिष्ट VI पर।
उपर्युक्त के अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 487/09–10 (अवधि 2005–06 से 08–09) की कंडिका सं0 30(i) के अनुसार रू 230000.00, 30(ii) के अनुसार रू0 26000.00 30(iii) के अनुसार रू0 425000.00 एवं 26 क अनुसार प्रशासनिक भवन निर्माण के विरूद्ध रू0 2507500.00 अग्रिम लंबित थी।
अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त योजनाओं के विरूद्ध बकाया अग्रिम का सामंजन योजनाओं को पूर्ण कर किया जाय तथा अन्य अग्रिम के सामंजन योजनाओं को पूर्ण कर किया जाय तथा अन्य अग्रिम के सामंजन/वसूली हेतु उचित

	कार्रवाई की जाय तथा अगले लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जाय। जवाब दिया गया कि सामंजन विपत्र समर्पित करने हेतु संबंधित कर्मचारियों/एजेन्सियों को नोटिस निर्गत किया जा रहा है।		
	27. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्ता लेखा परीक्षा के दौरान आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी तथा अध्यक्ष से समय समय पर वार्त्ता की गई तथा अंतिम वार्त्ता 31.03.12 को की गयी।		
	28. सामान्य अभ्युक्ति नगर पंचायत में अत्यंत ही सीमित संख्या में लेखाओं का संधारण किया गया। कई महत्त्वपूर्ण लेखाओं जैसे अनुदान पंजी, ऋण एवं विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी, परिमाण विपत्र लेखा आदि का संधारण नहीं किया गया। इसकें आलावा लेखाओं का संधारण विहित रूप से नहीं किया गया। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व कई दिनों तक अपने पास रखकर बाद में सरकारी खाते में जमा करने की प्रवृत्ति पाई गई। साथ ही स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली आय कम थी, जो अपने स्थापना एवं दिन प्रतिदिन के विविध व्यय के लिए भी अपर्याप्त थी।		

विश्वासभाजन

28/11/17

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत चकिया।